प्रकाशन पार्टी के संग अभियान 2021

[illegible] ग्राम [illegible] सरपंच की [illegible]
संवत 2015-16 के खाता सं. 3 में खातेदार का नाम अर्जुन पुत्र नाना दर्ज है जो
[illegible] आवेदक के [illegible], [illegible], [illegible] अर्जुनराम पुत्र नानाराम
दर्ज है जो सही है [illegible] अर्जुनराम पुत्र नानाराम [illegible] प्रस्तावित है।

[illegible]

क्रमांक : राजस्व/2020/ [illegible] दिनांक

पूर्व ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित [illegible] के निर्देशानुसार आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक [illegible] की अभिलेख की जाती है/नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

9/11/2021
तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1110
9-11-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रकाशन पार्टी के संग अभियान 2021 दिनांक :- 9-11-2021

पार्टी के खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र उपखण्ड [illegible] पर उपलब्ध [illegible] तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	ढाणी मंडल	2015-16	3	अर्जनी पुत्र नाना	अर्जुनराम पुत्र नानाराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 875-876
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को उपरोक्त पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

दिनांक :- 9-11-21

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSca